सम्पादक के नाम

वंचित समाज की सुरक्षा को लेकर आजमगढ़ का संयुक्त चुनाव घोषणा पत्र; फ़र्ज़ी पुलिस मुठभेड़, रासुका, भारत बंद, आतंकवाद और बाबा साहेब की मूर्तियों का तोड़ा जाना मुख्य मुद्दा

आज़मगढ़ में वंचित समाज की सुरक्षा का सवाल अहम सवालों में से एक है जिससे हर वर्ग के शोषित, दमित और पीड़ितों को न्याय की गारंटी हो सके। आजमगढ़ में पहले से ही आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम युवकों को फ़साने की लम्बी फेहरिस्त है। योगी सरकार में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के नवजवानों को इनकाउंटर में गोली मारकर हत्या और घायल किया गया। मुस्लिम नवजवानों को फर्जी मुकदमों में फंसाना और अदालतों से ज़मानत के बाद रासुका लगाकर जेलों में सड़ाने की साजिश, 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज और फर्जी मुकदमें कायम करना, डाक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करना, दलित छात्राओं के साथ अम्बेडकर की फोटो वाला लाकेट पहनने पर कॉलेज प्रशासन द्वारा जातिगत भेदभाव करना शामिल है।

आज़मगढ़ में मुठभेड़ के नाम पर 6 लोगों (मोहन पासी, जयहिंद यादव, मुकेश राजभर, रामजी पासी, राकेश पासी, छब्बू सोनकर) की गोली मारकर हत्या और दर्जनों के पैरों में बोरी बांध कर गोली मारी गई। मारे गए सभी पिछड़ी और दलित जातियों के हैं। वहीं इनकाउंटर में पैरों में गोली लगने से घायलों में कुछ अपवाद को छोड़कर सभी दलित, पिछड़े और मुसलमान हैं। घायलों को पुलिस उचित उपचार से वंचित रखकर अपाहिज बना रही है तो वहीं एक व्यक्ति भीम सागर का पैर काटना पड़ा। दूसरी ओर पुलिस पीड़ितों को एफआईआर की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ात की उपलब्धता में बाधा बन रही है। परिवारों को मुकदमों की पैरवी से दूर रहने के लिए भय का माहौल बना रही है।

आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को फर्जी मुकदमों में फ़साने, मुठभेड़ में मारने और जेलों में उत्पीड़न का सिलसिला सभी सरकारों की नियति में शामिल हो चुका है. सभी टेरर पालिटिक्स करते हैं जिसका शिकार मुस्लिम समाज होता है. जिसने आजमगढ़ की एक खतरनाक और बदनाम छवि निर्मित की है जिसका प्रतिरोध आजमगढ़ ने बदस्तूर किया है. भोपाल जेल में कैदियों को जिस तरह से निकालकर मारा गया ठीक उसी तरह जयपुर जेल में आजमगढ़ समेत अन्य जगह के कैदियों को मारने की साजिश एक बार फिर जेल प्रशासन द्वारा की गई.

जिले में अब तक चार लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पाबंद किया गया है। सभी मुसलमान हैं। इन सभी पर रासुका उस समय लगाया गया जब पुलिस द्वारा बनाए गए मुकदमों में उनको अदालत ने ज़मानत दे दी थी। जेल में सड़ाने के लिए रिहाई पाने के कुछ घंटे पहले उन्हें रासुका के तहत निरुद्ध कर दिया गया।

2 अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के खिलाफ पुलिस ने बरबर लाठीचार्ज और हिंसा की। फर्जी मुक़दमे कायम किए गए और गंभीर धाराएं लगाकर सैकड़ों नवजवानों को जेल में बंद कर दिया गया था। ज़मानत तो हुई लेकिन मुकदमा बरकरार है जबकि कई प्रदेशों में ऐसे मुकदमों को फर्जी मानते हुए वहां की सरकारों ने उसे वापस लिया है।

आज़मगढ़ में कलेक्टर कार्यालय ग्राउंड, बीबीपुर, माहुल, बनगांव, राजापट्टी और तैयबपुर में अम्बेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने की आधा दर्जन से अधिक घटनाएं हुयीं हैं। राजापट्टी में एक घटना में पुलिस ने अम्बेडकर प्रतिमा की देखभाल करने वाले दलित पर ही फर्जी मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया। माहुल में एक कुंठित पंडित व्यक्ति द्वारा अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ते हुए देख दलितों ने प्रतिरोध किया तो पुलिस खुद उसके पक्ष में खड़ी हो गई। जब पुलिस की इस हरकत के खिलाफ जनता ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने एक हज़ार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा क़ायम कर दिया जिसमें करीब 250 महिलाएं हैं।

मेहनगर के गौरा गांव में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इंटर कॉलेज में दलित छात्राओं को कथित रूप से सवर्ण प्रधानाचार्या और उनके रिश्तेदारों द्वारा अभद्र और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया और उनके परिजनों को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। उनका दोष यही था कि उन्होंने अम्बेडकर के फोटो वाली लॉकेट पहन रखी थी।

हम मांग करते हैं कि सामाजिक न्याय और धर्मिपेक्षता का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियां सार्वजनिक रूप से:

1. कथित इनकाउंटरों और इसके राजनीतिक पक्ष की निष्पक्ष विस्तृत जांच कराने और दोषियों को सज़ा दिलाने का वादा करें।
2. जिन मुस्लिम नवजवानों को अदालतों से ज़मानत मिलने के बाद जेलों में कैद रखने के लिए रासुका के तहत निरुद्ध किया गया है उनकी रिहाई के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए और जिन फर्जी मुकदमों को आधार बना कर ऐसा किया गया है उनके साम्प्रदायिक पक्ष की जांच का वादा करें।
3. आतंकवाद के नाम पर पकड़े गए बेगुनाहों की रिहाई पर स्थिति स्पष्ट करते हुए जेलों में उनकी सुरक्षा की गारंटी की जाए.
4. 2 अप्रैल 2018 को वाजिब मांगों को लेकर किए गए भारत बंद के दौरान पुलिस बर्बरता की निंदा करते हुए फर्जी मुकदमें वापस लेने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें।
5. अम्बेडकर प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और फर्जी मुकदमों की वापसी का वादा करें। पीड़ितों को मुआवज़ा देने की सार्वजनिक घोषणा करें।
6. मेहनगर के गौरा गांव में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इंटर कॉलेज में दलित छात्राओं द्वारा बाबा साहब की फोटो वाली लॉकेट पहनने पर अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कड़ी कारवाई के समर्थन की घोषणा करें।
7. उपर्यक्त सभी मामलों में पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दिलाने का वादा करें।

– मसिहुद्दीन संजरी, विनोद यादव, तारिक शफीक, बाकेलाल यादव, शाह आलम शेरवानी, अवधेश यादव, अनीता यादव, जयंती राजभर, डाक्टर अंजुम, राजनारायण यादव, श्रवण, रौशन राव, उमेश कुमार, रुपेश पासवान, विशाल भारती, हीरालाल यादव, मोहम्मद अकरम, मुन्ना यादव, सुजीत यादव, हाफिज जमालुद्दीन, अब्दुल्लाह एडवोकेट, गुलाम अम्बिया, सलीम दाउदी, कामिल हसन, राजेश यादव, विशाल सिंह, राजीव यादव.

राफेल मामले में फिर फंसी मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने राफेल स्कैम मामले में केंद्र सरकार की शुरुआती आपत्ति को ख़ारिज कर दिया है। सरकार ने मामले में पहले सुनाए गए फ़ैसले को बनाए रखने और पुनर्विचार याचिका ख़ारिज करने की बात कही थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया है।

मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ़ की पीठ कर रही है। दरअसल कोर्ट में सरकार का पहले गलत हलफनामा देना पड़ा भारी और इस दौरान अंग्रेजी अखबार द हिन्दू में एक के बाद एक विस्फोटक खुलासों के दस्तावेजों ने देशभर में तहलका मचा दिया।

यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है। गुरुवार 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के फैसले के राजनीतिक निहितार्थ तो निश्चित हैं और इससे राफेल डील में अनियमितताओं के आरोपों को प्रथमदृष्टया वैधता मिलती दिख रही है।

अब तक भाजपा राफेल में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्लीनचिट मिलने का सार्वजनिक दावा करती रही है, लेकिन अब इस पर न्यायालय का गम्भीर प्रश्नचिन्ह लग गया है। उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले से चुनाव में चौकीदार की ईमानदारी पर और गर्माहट आनी निश्चित है।

हालांकि भारतीय जनता पार्टी नराफेल मुद्दे पर रक्षात्मक है और उसने इसे रक्षा बलों और देश की सुरक्षा से जोड़ रखा है। अब विपक्ष का पहले से अधिक आक्रामक होना तय है। राहुल गाँधी पहले से लगातार 'चौकीदार चोर है' जैसे नारे उछाल रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई की फैसला किया है। तीन सदस्यीय पीठ ने एकमत से दिए फैसले में कहा कि जो नए दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी। पीठ ने कहा कि जहां तक राफेल फैसले पर समीक्षा याचिका की सुनवाई का सवाल है, इस पर बाद में विस्तृत सुनवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय अब पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा। राफेल मामले में उच्चतम न्यायालय को यह तय करना था कि इससे संबंधित डिफेंस के जो दस्तावेज लीक हुए हैं, उस आधार पर पुनर्विचार याचिका को सुनवाई की जाएगी या नहीं।

केंद्र ने सुनवाई का किया था विरोध

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में लीक दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई का विरोध किया था और कहा था कि ये दस्तावेज अत्यंत गोपनीय हैं और इस कारण पुनर्विचार याचिका खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान जस्टिस के. एम. जोसेफ ने कहा था कि आरटीआई ऐक्ट 2005 में आया है और ये एक क्रांतिकारी कदम था ऐसे में हम पीछे नहीं जा सकते।

केंद्र ने लीक दस्तावेजों को बताया था गोपनीय

सरकार ने कहा था कि जो दस्तावेज प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिका के साथ पेश किए हैं वह गोपनीय दस्तावेज है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। ये दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम के तहत भी गोपनीय दस्तावेज हैं। साक्ष्य अधिनियम के तहत गोपनीय दस्तावेज पेश नहीं किया जा सकता। जो दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, दो देशों के सम्बंध पर असर डालता हो उन्हें गोपनीय दस्तावेज माना गया है।

अनुच्छेद-19 (2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर कुछ अपवाद भी हैं। जहां देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होगा वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोक के दायरे में आती है। आरटीआई के तहत भी देश की संप्रभुता से जुड़े मामले को अपवाद माना गया है। सरकारी गोपनीयता कानून की धारा-3 और 5 में भी रोक है।

पब्लिक डोमेन में हैं दस्तावेज

इस दौरान याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि ये तमाम दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है। जो दस्तावेज पहले से लोगों के सामने है, उस पर कोर्ट विचार न करे क्योंकि ये प्रिविलेज्ड दस्तावेज है, यह बेकार की दलील है। एविडेंस ऐक्ट के तहत जो दस्तावेज पब्लिक डोमेन में लाने से रोका गया है, वे वैसे दस्तावेज हैं जो पहले से गोपनीय हैं और प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन इस मामले में डिफेंस के दस्तावेज पहले से लोगों के सामने है। केंद्र सरकार ने अभी तक मामले में केस दर्ज नहीं किया। पहली बार 18 नवंबर को ये रिपोर्ट वेबसाइट पर छपी। सीएजी रिपोर्ट सरकार ने पेश किया है। उसमें डिफेंस डील से संबंधित जानकारी है।

भूषण की दलील थी कि सरकार ने खुद सीएजी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया। ऐसे में उनकी ओर से पेश दस्तावेज को प्रिविलेज्ड दस्तावेज कैसे कह सकते हैं। उधर प्रेस काउंसिल कहता है कि मीडियाकर्मी सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं हैं। एसपी गुप्ता से संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे रखी है कि कोई दस्तावेज गोपनीय है या नहीं और देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इस बात को पब्लिक इंट्रेस्ट में परखा जाएगा।

इस मामले में दस्तावेज पहले से पब्लिक में है। सरकार खुद की अपने लोगों को इस तरह की जानकारी लीक करती रही है। रक्षामंत्री की फाइल नोटिंग भी इसी तरह लीक की गई। 2जी मामले और कोल ब्लॉक मामले में भी दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आए थे और उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि विसल ब्लोअर का नाम बाहर लाने की जरूरत नहीं है। अगर दस्तावेज केस के लिए जरूरी हैं तो यह बात औचित्यहीन है कि उसे कहां से और कैसे लाया गया है। अगर दस्तावेज करप्शन के केस के लिए औचित्यपूर्ण है तो इस बात का मतलब नहीं रह जाता कि ये कहां से लाया गया।

पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी थी क्लीनचिट

उच्चतम न्यायालय ने राफेल मामले में जांच की मांग से संबंधित याचिका को 14 दिसंबर 2018 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, जिस पर ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस ऐतराज पर फैसला सुरक्षित कर लिया था कि क्या अत्यंत गोपनीय दस्तावेज पर विचार करते हुए पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो या नहीं।

पिछले साल मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा था कि प्रक्रिया में विशेष कमी नहीं रही है और केंद्र के 36 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है। न्यायालय ने कहा था कि विमान की क्षमता में कोई कमी नहीं है।अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा था, हम पूरी तरह से संतुष्ट है कि राफेल सौदे की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं रही।

देश को सामरिक रूप से सक्षम रहना आवश्यक है। न्यायालय के लिए अपीलकर्ता प्राधिकारी के रूप में बैठना और सभी पहलुओं की जांच करना संभव नहीं है। हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे साबित होता हो कि इस सौदे में किसी के व्यापारिक हित साधे गए हों।

बच्चे का आरएसएस अधिकारी से प्रश्न

नव संवत्सर के अवसर पर गत 6 अप्रैल को हमारे पास के पार्क में आरएसएस (संघ) की शाखा लगी थी। वहाँ पर संघ का ध्वज भी लगा था। काफी लोग आमंत्रित थे, जिनमे बच्चे, बूढ़े, संघी, गैर संघी सभी थे।

एक सज्जन बौद्धिक दे रहे थे (संघ की भाषा में भाषण को बौद्धिक कहा जाता है)। उन्होंने सभी को संघ के बारे में जानकारी देते हुये बताया-

1. यह संगठन केवल हिन्दुओं का और हिन्दुओं के लिए है।
2. संघ विशुद्ध रूप से एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन है।
3. संघ पूर्णतया एक गैर राजनीतिक संगठन है।

इसी के साथ अपने बौद्धिक में उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि हमें अपने जीवन में केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए, विदेशी माल का बहिष्कार करना चाहिए। तभी हमारा देश पुन: परम वैभव के शिखर को प्राप्त कर सकेगा।

बौद्धिक समाप्त होने पर वहाँ उपस्थित एक बच्चे ने उनसे एक प्रश्न किया कि अंकल मैंने देखा कि आप जिस कार से आये थे वह तो होंडा कम्पनी की जापान

निर्मित कार है। इससे पहले भी जब आप यहां पर आए थे तो आपके पास इटली की Fiat कार थी। जबकि अब तो हमारे यहाँ भी पूर्ण स्वदेशी और पूर्ण उपयोगी TATA की व अन्य सुन्दर-सुन्दर गाडियाँ उपलब्ध हैं, तो आप स्वदेशी कार का प्रयोग क्यों नही करते ?

बेचारे बौद्धिक देने वाले सज्जन बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप ..... जी के घर पर आयोजित जलपान कार्यक्रम के लिए खिसक लिए और वहां पर एकत्र स्वयंसेवकों को अपना अगला बौद्धिक पिलाया कि हमें आगामी 12 मई को होने वाले चुनावों में भाजपा उम्मीदवार को जिताने के लिए क्या क्या और कैसे कैसे करना है। इस अवसर पर उन्होंने चुनाव प्रबन्धन कार्यों पर होने वाले व्यय के लिए सभी को उनके पदानुसार भेंट भी प्रदान की।

– **सतीश मित्तल**